कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल ।

पत्रांक:-सा0/पीईआर/जी0पी0एफ/ 1130 दिनांक:- 2/12/98

सेवा में,

1-सहायक लेखाधिकारी,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
अल्मोड़ा परिसर, अल्मोड़ा ।

2-सहायक लेखाधिकारी,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
डी0एस0बी0परिसर, नैनीताल ।

विषय:- सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) (प्रथम संशोधन) नियमावली 19

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 शासन वित्त (सामान्य) अनुभाग-4 की अधिसू
सं0 सा0-4-642/दस-97-502/85 लखनऊ दिनांक 29 जुलाई 1997 द्वारा सामान्
भविष्य निधि (उ0 प्र0) (प्रथम संशोधन) नियमावली 1997 जो तुरन्त प्रवृत्त
का कड़ाई से अनुपालन किए जाने हेतु अधिसूचना की फोटो प्रतियाँ संलग्न कर प्रेषि
की जा रही है ।

2- उपरोक्त संदर्भ में निर्देशित किया जाता है कि अधिसूचना में स्तम्भ-2 में प्रस्थापित नियमों के अन्तर्गत सामान्य भविष्य निधि के प्रकरणों पर तदनुसार कार्यवाही की जाय । संलग्न अधिनियम में प्रतिस्थापित नियमों से आच्छादित प्रकरणों पर ही विश्वविद्यालय स्तर से सकारात्मक कार्यवाही की जानी संभव हो पायेगी ।

संलग्न अधिसूचना में निहित प्राविधानों से परिसरों में कार्यरत कर्मचारि
को भी तदनुसार अवगत करा दिया जाय ।

संलग्न:-यथोपरि,

भवदीय,

Sd

(डा0 बी0एल0आर्य)
कुलसचिव

2/12

क्रमश:/2.....

पृ०संख्या०/पीईआर/जीएनएल/ / 1130 तद्दिनांक

प्रतिलिपि :-उपर्युक्त विषयक उ०प्र० शासन वित्त §सामान्य§ अनुभाग-4 से नि
अधिसूचना सं०ख्या०/-4-642/दस-97-502/85,लखनऊ दिनांक 29
1997 की फोटो प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/ तद्नुसार आवश्य
कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है ।

1:- परिसर निदेशक ,कुमाऊँ विश्वविद्यालय अल्मोड़ा परिसर अल्मोड़ा

2:- परिसर निदेशक,कुमाऊँ विश्वविद्यालय,डी०एस०बी०परिसर नैनीता

3:- वित्त अधिकारी,कुमाऊँ विश्वविद्यालय,नैनीताल ।

4:- सहायक कुलसचिव § मान्यता § अनुभाग ।

5:- अधिष्ठान लिपिक,सामान्य अधिष्ठान अनुभाग को अधिसूचना की
के मुताबिक कार्यवाही किए जाने हेतु ।

से० यथोपरि ।

कुलसचिव

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–4

संख्या सा–4–642/दस–97–502/85

लखनऊ, दिनांक 29 जुलाई, 1997

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1997

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह नियमावली सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1997 कही जायगी ।

(2) वह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

2—सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायगा, अर्थात्—

स्तम्भ—1 वर्तमान नियम	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
पात्रता की शर्तें 4—संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों और पुनर्नियोजित पेंशन भोगियों से भिन्न समस्त स्थायी सरकारी सेवक और समस्त अस्थायी सरकारी सेवक एक वर्ष की निरंतर सेवा के पश्चात् निधि में अभिदान करेंगे ।	पात्रता की शर्तें 4—संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों और पुनर्नियोजित पेंशन भोगि से भिन्न समस्त स्थायी सरकारी सेवक और सम अस्थायी सरकारी सेवक जिनकी सेवायें एक वर्ष से अधिक तक जारी रहने की सम्भावना हो सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निधि में अभिदान करेंगे ।
टिप्पणी–1—शिक्षुओं और परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को इस नियम के प्रयोजनार्थ अस्थायी सरकारी सेवक समझा जायेगा ।	टिप्पणी–1—शिक्षुओं और परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को इस नियम के प्रयोजनार्थ अस्थायी सरकारी सेवक समझा जायेगा ।
टिप्पणी–2—कोई अस्थायी सरकारी सेवक जो एक वर्ष की निरन्तर सेवा किसी मास के मध्य में पूरी करता है, वह अगले अनुवर्ती मास से निधि में अभिदान करेगा ।	टिप्पणी–2—ऐसे अस्थायी सरकारी सेवक (जिसके अन्तर्गत शिक्षु और परिवीक्षाधीन व्यक्ति भी हैं) जिन्हें नियमित या अस्थायी रिक्तियों के प्रति नियुक्त किया गया है और जिनकी सेवायें एक वर्ष से अधिक तक जारी रहने की सम्भावना हो सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निधि में अभिदान करेंगे ।
टिप्पणी–3—ऐसे अस्थायी सरकारी सेवक (जिसके अन्तर्गत शिक्षु और परिवीक्षाधीन व्यक्ति भी हैं) जिन्हें नियमित रिक्तियों के प्रति नियुक्त किया गया है और जिनकी एक वर्ष से अधिक अवधि तक सेवा करते रहने की संभावना है, एक वर्ष की सेवा पूरी होने के पूर्व किसी भी समय निधि में अभिदान कर सकते हैं ।	टिप्पणी–3—जैसे ही कोई सरकारी सेवक निधि में अभिदान करने का दायी हो जाय वैसे ही कार्यपालक प्राधिकारियों को चाहिए कि वे इसकी सूचना लेखा अधिकारी को दे दें ।
टिप्पणी–4—जैसे ही कोई सरकारी सेवक निधि में अभिदान करने का दायी हो जाय वैसे ही कार्यपालक प्राधिकारियों को चाहिए कि वे इसकी सूचना लेखा अधिकारी को दे दें ।	

4 Photo copies

AR(M) / AR(AC)

Regd. 3.8.97

Sri Rackwal

A.R.(C) 8-98

नियम-17 का संशोधन

3—उक्त नियमावली में, स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-17 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायगा, अर्थात् :—

स्तम्भ—1 वर्तमान नियम	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
प्रत्याहरण की शर्तें 17 (1)-(क) किसी अभिदाता द्वारा निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि से नियम 16 के खण्ड (क), (ग), (घ) या (ङ) में विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक प्रयोजनों के लिये किसी एक समय में प्रत्याहृत कोई धनराशि साधारणतया ऐसी धनराशि के आधे या छः मास के वेतन, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी । विशेष मामलों में स्वीकृति प्राधिकारी (एक) ऐसे उद्देश्य जिसके लिये प्रत्याहरण किया जा रहा है, और (दो) निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि का सम्यक् ध्यान रखते हुये, इस सीमा से अधिक धनराशि का जो निधि में उसके जमाखाते के अतिशेष के तीन चौथाई तक हो सकती है, प्रत्याहरण स्वीकृत कर सकता है :	प्रत्याहरण की शर्तें 17 (1)-(क) किसी अभिदाता द्वारा निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि से नियम 16 के खण्ड (क), (ग), (घ) या (ङ) में विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक प्रयोजनों के लिये किसी एक समय में प्रत्याहृत कोई धनराशि साधारणतया ऐसी धनराशि के आधे या छः मास के वेतन, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी । विशेष मामलों में स्वीकृति प्राधिकारी (एक) ऐसे उद्देश्य जिसके लिये प्रत्याहरण किया जा रहा है, और (दो) निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि का सम्यक् ध्यान रखते हुये, इस सीमा से अधिक धनराशि का जो निधि में उसके जमाखाते के अतिशेष के तीन चौथाई तक हो सकती है, प्रत्याहरण स्वीकृत कर सकता है :
परन्तु किसी भी मामले में नियम—16 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (घ) और (ङ) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रत्याहरण की धनराशि 25,000 रुपये से अधिक न होगी ।	परन्तु किसी भी मामले में नियम—16 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (घ) और (ङ) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रत्याहरण की धनराशि 40,000 रुपये से अधिक न होगी ।
टिप्पणी-1—गृह के निर्माण के मामले में यदि प्रत्याहरण की धनराशि 25,000 रु० से अधिक हो तो साधारणतया दो किस्तों में उसके आहरण की अनुज्ञा दी जायेगी । फिर भी यदि अभिदाता ने प्रत्याहरण की सम्पूर्ण धनराशि को एक किस्त में निर्मुक्त किये जाने के लिये आवेदन किया है और स्वीकृति प्राधिकारी का उसके लिये दिये गये औचित्य के सम्बन्ध में समाधान हो जाय तो तदनुसार सम्पूर्ण धनराशि को निर्मुक्त किया जा सकता है । स्वीकृति प्रत्याहरण की सम्पूर्ण धनराशि के लिये जारी की जायेगी और यदि उसका आहरण किस्तों में किया जाना हो तो उसकी संख्या स्वीकृति के आदेश में विनिर्दिष्ट की जायेगी ।	टिप्पणी-1—गृह के निर्माण के मामले में यदि प्रत्याहरण की धनराशि 25,000 रु० से अधिक हो तो साधारणतया दो किस्तों में उसके आहरण की अनुज्ञा दी जायेगी । फिर भी यदि अभिदाता ने प्रत्याहरण की सम्पूर्ण धनराशि को एक किस्त में निर्मुक्त किये जाने के लिये आवेदन किया है और स्वीकृति प्राधिकारी का उसके लिये दिये गये औचित्य के सम्बन्ध में समाधान हो जाय तो तदनुसार सम्पूर्ण धनराशि को निर्मुक्त किया जा सकता है । स्वीकृति प्रत्याहरण की सम्पूर्ण धनराशि के लिये जारी की जायेगी और यदि उसका आहरण किस्तों में किया जाना हो तो उसकी संख्या स्वीकृति के आदेश में विनिर्दिष्ट की जायेगी ।
टिप्पणी-2—(क) किसी स्थल, गृह या फ्लैट के एकदम क्रय के लिये या इस प्रयोजन के लिये, लिये गये ऋण के प्रतिदान के लिये एक किस्त में प्रत्याहरण की अनुमति दी जा सकती है । ऐसे मामलों में जहां अभिदाता को क्रय किये गये स्थल या गृह या फ्लैट के लिये या किसी योजना के अधीन, जिसके अन्तर्गत किसी विकास प्राधिकरण, आवास परिषद, स्थानीय निकाय या गृह निर्माण सहकारी समिति की स्व-वित्त पोषित योजना भी है, निर्मित गृह या फ्लैट के लिये किस्तों में भुगतान करना पड़े तो जब-जब उससे किसी किस्त का भुगतान करने के लिये कहा जाय उसे प्रत्याहरण करने की अनुज्ञा दी जायेगी । प्रत्येक ऐसे भुगतान को नियम 16 के उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिये पृथक प्रयोजन के लिये भुगतान समझा जायगा ।	टिप्पणी-2—(क) किसी स्थल, गृह या फ्लैट के एकदम क्रय के लिये या इस प्रयोजन के लिये, लिये गये ऋण के प्रतिदान के लिये एक किस्त में प्रत्याहरण की अनुमति दी जा सकती है । ऐसे मामलों में जहां अभिदाता को क्रय किये गये स्थल या गृह या फ्लैट के लिये या किसी योजना के अधीन, जिसके अन्तर्गत किसी विकास प्राधिकरण, आवास परिषद, स्थानीय निकाय या गृह निर्माण सहकारी समिति की स्व-वित्त पोषित योजना भी है, निर्मित गृह या फ्लैट के लिये किस्तों में भुगतान करना पड़े तो जब-जब उससे किसी किस्त का भुगतान करने के लिये कहा जाय उसे प्रत्याहरण करने की अनुज्ञा दी जायेगी । प्रत्येक ऐसे भुगतान को नियम 16 के उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिये पृथक प्रयोजन के लिये भुगतान समझा जायगा ।

स्तम्भ—1 वर्तमान नियम	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ख) नियम 16 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (एक) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रत्याहरण की धनराशि की सीमा 50,000 रुपये या निधि में अभिदाता के जमा खाते में विद्यमान धनराशि की आधी या यथास्थिति, मोटरकार, मोटर साइकिल या स्कूटर (जिसके अन्तर्गत मोपेड भी है) का वास्तविक मूल्य, इनमें जो भी सबसे कम हो, तक होगी ।	(ख) नियम 16 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (एक) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रत्याहरण की धनराशि की सीमा 50,000 रुपये या निधि में अभिदाता के जमा खाते में विद्यमान धनराशि की आधी या यथास्थिति, मोटरकार, मोटर साइकिल या स्कूटर (जिसके अन्तर्गत मोपेड भी है) का वास्तविक मूल्य, इनमें जो भी कम हो, होगी ।
(ग) नियम 16 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (दो) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रत्याहरण की धनराशि की सीमा 5,000 रुपये या निधि में अभिदाता के जमा खाते में विद्यमान धनराशि की आधी या मरम्मत या ओवरहालिंग करने की वास्तविक धनराशि, इनमें से जो भी सबसे कम हो, तक होगी ।	(ग) नियम 16 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (दो) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रत्याहरण की धनराशि की सीमा 5,000 रुपये या निधि में अभिदाता के जमा खाते में विद्यमान धनराशि की आधी या मरम्मत या ओवरहालिंग करने की वास्तविक धनराशि, इनमें से जो भी कम हो, होगी ।
(2) अभिदाता जिसको नियम 16 के अधीन निधि से धन निकालने की अनुज्ञा की गयी हो, स्वीकृति प्राधिकारी का ऐसी युक्तियुक्त अवधि के भीतर, जो उस प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, समाधान करेगा कि धन का प्रयोग उस प्रयोजन के लिये कर लिया गया है जिसके लिये उसका प्रत्याहरण किया गया था और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो इस प्रकार प्रत्याहृत सम्पूर्ण धनराशि उसके ऐसे भाग का जिसका उपयोग उस प्रयोजन के लिये जिसके लिये वह प्रत्याहृत किया गया था, नहीं किया गया है, प्रतिदान अभिदाता द्वारा निधि में एक मुश्त धनराशि में किया जायेगा और ऐसा भुगतान न करने पर स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा उसकी परिलब्धियों से या तो एक मुश्त धनराशि में या मासिक किस्तों की ऐसी संख्या में जैसी अवधारित की जाय, वसूल किये जाने का आदेश दिया जायेगा ।	(2) अभिदाता जिसको नियम 16 के अधीन निधि से धन निकालने की अनुज्ञा दी गयी हो, स्वीकृति प्राधिकारी का ऐसी युक्तियुक्त अवधि के भीतर, जो उस प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, समाधान करेगा कि धन का प्रयोग उस प्रयोजन के लिये कर लिया गया है जिसके लिये उसका प्रत्याहरण किया गया था और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो इस प्रकार प्रत्याहृत सम्पूर्ण धनराशि उसके ऐसे भाग का जिसका उपयोग उस प्रयोजन के लिये जिसके लिये वह प्रत्याहृत किया गया था, नहीं किया गया है, प्रतिदान अभिदाता द्वारा निधि में एक मुश्त धनराशि में किया जायेगा और ऐसा भुगतान न करने पर स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा उसकी परिलब्धियों से या तो एक मुश्त धनराशि में या मासिक किस्तों की ऐसी संख्या में जैसी अवधारित की जाय, वसूल किये जाने का आदेश दिया जायेगा ।
टिप्पणी-1—विवाह के लिये किसी प्रत्याहरण का उपयोग तीन मास के भीतर किया जायेगा ।	टिप्पणी-1— विवाह के लिये किसी प्रत्याहरण का उपयोग तीन मास के भीतर किया जायेगा ।
टिप्पणी-2—गृह का निर्माण धनराशि के प्रत्याहरण के छः मास के भीतर प्रारम्भ किया जायेगा और उसे निर्माण प्रारम्भ होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिये किन्तु यदि गृह का क्रय या मोचन किया जाना हो या उस प्रयोजन के लिये इसके पूर्व लिये गये किसी प्राइवेट ऋण का प्रतिदान करना हो तो उसे प्रत्याहरण के तीन मास के भीतर कर लिया जाना चाहिए ।	टिप्पणी-2—गृह का निर्माण धनराशि के प्रत्याहरण के छः मास के भीतर प्रारम्भ किया जायेगा और उसे निर्माण प्रारम्भ होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिये किन्तु यदि गृह का क्रय या मोचन किया जाना हो या उस प्रयोजन के लिये इसके पूर्व लिये गये किसी प्राइवेट ऋण का प्रतिदान करना हो तो उसे प्रत्याहरण के तीन मास के भीतर कर लिया जाना चाहिए ।

स्तम्भ—1 वर्तमान नियम	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
टिप्पणी-3—गृह स्थल का क्रय, यथास्थिति प्रत्याहरण या प्रथम किस्त के प्रत्याहरण के एक माह की अवधि के भीतर किया जायेगा । इस शर्त की पूर्ति के संबंध में स्वीकृति प्राधिकारी स्थल के क्रय हेतु भुगतान करने के लिये प्रत्याहरण किस्त की धनराशि का उपयोग कर लिये जाने के प्रतीक स्वरूप विक्रेता, गृह निर्माण समिति, आदि द्वारा दी गयी रसीदें प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा ।	टिप्पणी-3—गृह स्थल का क्रय, यथास्थिति प्रत्याहरण या प्रथम किस्त के प्रत्याहरण के एक माह की अवधि के भीतर किया जायेगा । इस शर्त की पूर्ति के संबंध में स्वीकृति प्राधिकारी स्थल के क्रय हेतु भुगतान करने के लिये यथास्थिति प्रत्याहरण या किसी प्रत्याहरण किस्त की धनराशि का उपयोग कर लिये जाने के प्रतीक स्वरूप विक्रेता, गृह निर्माण समिति, आदि द्वारा दी गयी रसीदें प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा ।
स्पष्टीकरण—विक्रय या अन्तरण विलेख के संबंध में किये गये वास्तविक व्यय को गृह या गृह स्थल के लागत के भाग के रूप में संगणित किया जा सकता है ।	स्पष्टीकरण—विक्रय या अन्तरण विलेख के संबंध में किये गये वास्तविक व्यय को गृह या गृह स्थल के लागत के भाग के रूप में संगणित किया जा सकता है ।
टिप्पणी-4—किसी बीमा पालिसी के लिये प्रत्याहरण का उपयोग उस दिनांक तक किया जायेगा जिस दिनांक को प्रीमियम का भुगतान किया जाना हो और अभिदाता से जीवन बीमा निगम द्वारा दी गयी रसीद की प्रमाणित या फोटोस्टेट प्रति प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जावेगी, ऐसा न करने पर इस प्रयोजन के लिये कोई अग्रतर प्रत्याहरण की अनुज्ञा नहीं दी जावेगी ।	टिप्पणी-4—किसी बीमा पालिसी के लिये प्रत्याहरण का उपयोग उस दिनांक तक किया जायेगा जिस दिनांक को प्रीमियम का भुगतान किया जाना हो और अभिदाता से जीवन बीमा निगम द्वारा दी गयी रसीद की प्रमाणित या फोटोस्टेट प्रति प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी, ऐसा न करने पर इस प्रयोजन के लिये कोई अग्रेतर प्रत्याहरण की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी ।
(3) कोई अभिदाता जिसे नियम 16 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (क) (ख) या (ग) के अधीन निधि में अपने जमा खाते में विद्यमान धनराशि से धन प्रत्याहृत करने की अनुज्ञा दी गयी हो राज्यपाल की पूर्व अनुज्ञा के बिना इस प्रकार प्रत्याहृत धनराशि से निर्मित या अर्जित किये गये गृह या क्रय किये गये गृह स्थल के कब्जे से, चाहे विक्रय, गिरवी (राज्यपाल को गिरवी से भिन्न) दान, विनियम द्वारा या अन्य प्रकार से, अलग नहीं होगा :—	(3) कोई अभिदाता जिसे नियम 16 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (क) (ख) या (ग) के अधीन निधि में अपने जमा खाते में विद्यमान धनराशि से धन प्रत्याहृत करने की अनुज्ञा दी गयी हो, राज्यपाल की पूर्व अनुज्ञा के बिना इस प्रकार प्रत्याहृत धनराशि से निर्मित या अर्जित किये गये गृह या क्रय किये गये गृह स्थल के कब्जे से, चाहे विक्रय, गिरवी (राज्यपाल को गिरवी से भिन्न) दान, विनियम द्वारा या अन्य प्रकार से, अलग नहीं होगा :—
परन्तु ऐसी अनुज्ञा–	परन्तु ऐसी अनुज्ञा–
(एक) तीन वर्ष से अनधिक किसी अवधि के लिये पट्टे पर दिये गये गृह या गृह स्थल के लिये, या	(एक) तीन वर्ष से अनधिक किसी अवधि के लिये पट्टे पर दिये गये गृह या गृह स्थल के लिये, या
(दो) आवास परिषद, विकास प्राधिकरण, स्थानीय निकाय, राष्ट्रीय कृत बैंक, जीवन बीमा निगम के या केन्द्रीय या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी अन्य निगम के जो नये गृह के निर्माण के लिये या किसी वर्तमान गृह में परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिये ऋण देता हो, पक्ष में उसके गिरवी रखे जाने के लिये, आवश्यक नहीं होगी ।	(दो) आवास परिषद, विकास प्राधिकरण, स्थानीय निकाय, राष्ट्रीय कृत बैंक, जीवन बीमा निगम के या केन्द्रीय या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी अन्य निगम के जो नये गृह के निर्माण के लिये या किसी वर्तमान गृह में परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिये ऋण देता हो, पक्ष में उसके गिरवी रखे जाने के लिये, आवश्यक नहीं होगी ।

4—उक्त नियमावली में, स्तम्भ–1में दिये गये नियम–23 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायगा, अर्थात्—

स्तम्भ—1 वर्तमान नियम	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
जमा से सम्बद्ध बीमा योजना 23—सेवा के दौरान अभिदाता की मृत्यु होने पर समूह "घ" के अभिदाताओं के मामले में लेखा अधिकारी और अन्य मामलों में द्वितीय अनुसूची के पैरा 2 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, ऐसे अभिदाता की मृत्यु के ठीक पूर्ववर्ती 3 वर्ष के दौरान लेखे में औसत अतिशेष के बराबर अतिरिक्त धनराशि के भुगतान की स्वीकृति देगा और आहरण और वितरण अधिकारी के द्वारा अभिदाता के जमाखाते में विद्यमान धनराशि पाने के लिए हकदार व्यक्ति को उसका तुरन्त संवितरण करने का प्रबन्ध करेगा :–	जमा से सम्बद्ध बीमा योजना 23—सेवा के दौरान अभिदाता की मृत्यु होने पर समूह "घ" के अभिदाताओं के मामले में लेखा अधिकारी और अन्य मामलों में द्वितीय अनुसूची के पैरा 2 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, ऐसे अभिदाता की मृत्यु के ठीक पूर्ववर्ती 3 वर्ष के दौरान लेखे में औसत अतिशेष के बराबर अतिरिक्त धनराशि के भुगतान की स्वीकृति देगा और आहरण और वितरण अधिकारी के द्वारा अभिदाता के जमाखाते में विद्यमान धनराशि पाने के लिए हकदार व्यक्ति को उसका तुरन्त संवितरण करने का प्रबन्ध करेगा :–
(क) मृत्यु के मास के पूर्ववर्ती तीन वर्ष के दौरान ऐसे अभिदाता के जमा खाते में विद्यमान अतिशेष किसी भी समय निम्नलिखित की सीमा से कम न हुआ हो–	(क) मृत्यु के मास के पूर्ववर्ती तीन वर्ष के दौरान ऐसे अभिदाता के जमा खाते में विद्यमान अतिशेष किसी भी समय निम्नलिखित की सीमा से कम न हुआ हो–
(एक) (समूह "क" के अभिदाता अर्थात् ऐसा) राजपत्रित अधिकारी जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत् भाग में ऐसा पद धारण किया हो (जिसके वेतन मान का अधिकतम 1,720 रुपये से अधिक हो) के मामले में 4,000 रुपया,	(एक) ऐसे अभिदाता जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत् भाग में ऐसा पद धारण किया हो जिसके वेतनमान का अधिकतम 4,000 रुपये या अधिक हो के मामले में 12,000 रुपया,
(दो) समूह "ख" के अभिदाता (अर्थात् ऐसा राजपत्रित अधिकारी जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत् भाग में ऐसा पद धारण किया हो जिसके वेतनमान का अधिकतम 1,720 रुपये से अधिक न हो) के मामले में 2,500 रुपया,	(दो) ऐसा अभिदाता जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत् भाग में ऐसा पद धारण किया हो जिसके वेतनमान का अधिकतम 2,900 रुपये या अधिक किन्तु 4,000 से कम हो के मामले में 7,500 रुपया,
(तीन) समूह "ग" के अभिदाता (अर्थात् ऐसा राजपत्रित अधिकारी जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत् भाग में ऐसा पद धारण किया हो जिसके वेतनमान का न्यूनतम 354 रुपया या इससे अधिक हो) के मामले में 1000 रुपया,	(तीन) ऐसा अभिदाता जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत् भाग में ऐसा पद धारण किया हो जिसके वेतनमान का न्यूनतम 1,151 रुपया या इससे अधिक किन्तु 2,900 रुपया से कम हो के मामले में 4,500 रुपया,
(चार) (समूह "घ" के अभिदाता) अर्थात् समस्त अन्य राजपत्रित कर्मचारी के मामले में 500 रुपया ।	(चार) ऐसे अभिदाता जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत् भाग में ऐसा पद धारण किया हो जिसके वेतनमान का अधिकतम 1,151 रुपये से कम हो, के मामले में 3,000 रुपये,
(ख) इस नियम के अधीन देय अतिरिक्त धनराशि 10,000 रुपये से अधिक नहीं होगी ।	(ख) इस नियम के अधीन देय अतिरिक्त धनराशि 30,000 रुपये से अधिक नहीं होगी ।
(ग) अभिदाता ने अपनी मृत्यु के समय कम से कम पांच वर्ष की सेवा कर ली हो ।	(ग) अभिदाता ने अपनी मृत्यु के समय कम से कम पांच वर्ष की सेवा कर ली हो ।

स्तम्भ—1 वर्तमान नियम	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
टिप्पणी–1—औसत अतिशेष उस मास के जिसमें मृत्यु हुई हों, पूर्ववर्ती प्रत्येक 36 मास के अन्त में अभिदाता के जमाखाते में विद्यमान अतिशेष के आधार पर निकाला जायगा । इस प्रयोजन और उपर्युक्त विहित न्यूनतम अतिशेष की जांच करने के प्रयोजन के लिये भी— (क) मार्च के अन्त में अतिशेष के अन्तर्गत नियम 11 के अनुसार जमा की गयी वार्षिक ब्याज भी होगी, और (ख) यदि उपर्युक्त 36 मास का अंतिम मास मार्च न हो तो उक्त अंतिम मास के अन्त में अतिशेष के अन्तर्गत उस वित्तीय वर्ष के जिसमें मृत्यु हो, प्रारम्भ से उक्त अंतिम मास के अन्त तक की अवधि के संबंध में ब्याज भी है ।	**टिप्पणी–1**—औसत अतिशेष उस मास के जिसमें मृत्यु हुई हों, पूर्ववर्ती प्रत्येक 36 मास के अन्त में अभिदाता के जमाखाते में विद्यमान अतिशेष के आधार पर निकाला जायगा । इस प्रयोजन और उपर्युक्त विहित न्यूनतम अतिशेष की जांच करने के प्रयोजन के लिये भी— (क) मार्च के अन्त में अतिशेष के अन्तर्गत नियम 11 के अनुसार जमा किया गया वार्षिक ब्याज भी होगा, और (ख) यदि उपर्युक्त 36 मास का अंतिम मास मार्च न हो तो उक्त अंतिम मास के अन्त में अतिशेष के अन्तर्गत उस वित्तीय वर्ष के जिसमें मृत्यु हो, प्रारम्भ से उक्त अंतिम मास के अन्त तक की अवधि के संबंध में ब्याज भी है ।
टिप्पणी–2—इस योजना के अधीन भुगतान पूर्ण रुपया में किया जायगा । धनराशि को निकटतम पूर्ण रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा, रुपये के पचास पैसे से कम किसी भाग को छोड़ दिया जायेगा और किसी अन्य भाग को अगले उच्चतर रुपये के रूप में गिना जायेगा ।	**टिप्पणी–2**—इस योजना के अधीन भुगतान पूर्ण रुपया में किया जायगा । धनराशि को निकटतम पूर्ण रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा, रुपये के पचास पैसे से कम किसी भाग को छोड़ दिया जायेगा और किसी अन्य भाग को अगले उच्चतर रुपये के रूप में गिना जायेगा ।
टिप्पणी–3—इस योजना के अधीन देय कोई धनराशि बीमा की धनराशि की प्रकृति का है और इस लिये भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा 3 द्वारा दिया गया संरक्षण इस योजना के अधीन देय धनराशियों पर लागू नहीं होता ।	**टिप्पणी–3**—इस योजना के अधीन देय कोई धनराशि बीमा की धनराशि की प्रकृति का है और इस लिये भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा 3 द्वारा दिया गया संरक्षण इस योजना के अधीन देय धनराशियों पर लागू नहीं होता ।
टिप्पणी–4—जब कोई सरकारी सेवक नियम 25 या 26 के अधीन निधि का सदस्य बन गया हो किन्तु, यथास्थिति, तीन वर्ष की सेवा पूरी करने या निधि का सदस्य बनने के दिनांक से पांच वर्ष की सेवा के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाय तो पूर्ववर्ती सेवायोजक के अधीन उसकी सेवा की उस अवधि की गणना जिसके संबंध में उसके अभिदान की धनराशि और सेवायोजक का अंशदान, यदि कोई हो, तथा ब्याज प्राप्त हो गया हो, खण्ड (क) और खण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिये की जायेगी । पूर्ववर्ती सेवायोजक के अधीन सेवा के संबंध में उपर्युक्त टिप्पणी–1 में निर्दिष्ट औसत अतिशेष उस सेवायोजक के अभिलेखों के आधार पर निकाला जायेगा ।	**टिप्पणी–4**—जब कोई सरकारी सेवक नियम 25 या 26 के अधीन निधि का सदस्य बन गया हो किन्तु, यथास्थिति, तीन वर्ष की सेवा पूरी करने या निधि का सदस्य बनने के दिनांक से पांच वर्ष की सेवा के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाय तो पूर्ववर्ती सेवायोजक के अधीन उसकी सेवा की उस अवधि की गणना जिसके संबंध में उसके अभिदान की धनराशि और सेवायोजक का अंशदान, यदि कोई हो, तथा ब्याज प्राप्त हो गया हो, खण्ड (क) और खण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिये की जायेगी । पूर्ववर्ती सेवायोजक के अधीन सेवा के संबंध में उपर्युक्त टिप्पणी–1 में निर्दिष्ट औसत अतिशेष उस सेवायोजक के अभिलेखों के आधार पर निकाला जायेगा ।
टिप्पणी-5—समूह "घ" के अभिदाताओं से भिन्न अभिदाताओं के मामले में, इस नियम के अधीन भुगतान की गयी धनराशि की सूचना लेखा अधिकारी को दी जायेगी जो गणनाओं की जांच करेगा और यदि यह पाया जाय कि अधिक धनराशि का भुगतान कर दिया गया है तो उक्त धनराशि नियम 24 के	**टिप्पणी-5**—समूह "घ" के अभिदाताओं से भिन्न अभिदाताओं के मामले में, इस नियम के अधीन भुगतान की गयी धनराशि की सूचना लेखा अधिकारी को दी जायेगी जो गणनाओं की जांच करेगा और यदि यह पाया जाय कि अधिक धनराशि का भुगतान कर दिया गया है तो उक्त धनराशि नियम 24 के

लेखे का वार्षिक विवरण अभिदाता को दिया जायेगा

सामान्य भविष्य निधि पास बुक

(5)

स्तम्भ—1 वर्तमान नियम	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
उपनियम (5) के खण्ड (ग) के अधीन भुगतान की जाने वाली अवशिष्ट धनराशि से काट ली जायेगी और शेष अतिशेष का भुगतान लेखा अधिकारी द्वारा ऐसी कटौती प्राधिकृत किये जाने के पश्चात् ही किया जायेगा। यदि किसी मामले में यह पाया जाय कि इस नियम के अधीन कम भुगतान किया गया है तो देय अतिशेष को उपर्युक्त अवशिष्ट धनराशि में जोड़ दिया जायेगा और ऐसी कुल धनराशि का भुगतान लेखाधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जायेगा।	उपनियम (5) के खण्ड (ग) के अधीन भुगतान की जाने वाली अवशिष्ट धनराशि से काट ली जायेगी और शेष अतिशेष का भुगतान लेखा अधिकारी द्वारा ऐसी कटौती प्राधिकृत किये जाने के पश्चात् ही किया जायेगा। यदि किसी मामले में यह पाया जाय कि इस नियम के अधीन कम भुगतान किया गया है तो देय अतिशेष को उपर्युक्त अवशिष्ट धनराशि में जोड़ दिया जायेगा और ऐसी कुल धनराशि का भुगतान लेखाधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जायेगा।
लेखे का वार्षिक विवरण अभिदाता को दिया जायेगा 27—(1) लेखा अधिकारी प्रतिवर्ष की समाप्ति के छः मास के भीतर प्रत्येक अभिदाता को निधि में उसके लेखे का विवरण भेजेगा जिसमें वर्ष की पहली अप्रैल, को विद्यमान प्रारम्भिक अतिशेष वर्ष के दौरान जमा की गयी या नाम डाली गयी धनराशि, वर्ष के 31 मार्च को जमा की गयी ब्याज और प्रोत्साहन बोनस, यदि कोई हो, की कुल धनराशि और उस दिनांक को विद्यमान अन्तिम अतिशेष को दर्शाया जायेगा।	लेखे का वार्षिक विवरण अभिदाता को दिया जायेगा 27—(1) लेखा अधिकारी प्रतिवर्ष की समाप्ति के छः मास के भीतर प्रत्येक अभिदाता को निधि में उसके लेखे का विवरण भेजेगा जिसमें वर्ष की पहली अप्रैल, को विद्यमान प्रारम्भिक अतिशेष वर्ष के दौरान जमा की गयी या नाम डाली गयी धनराशि, वर्ष के 31 मार्च को जमा की गयी ब्याज की कुल धनराशि और उस दिनांक को विद्यमान अन्तिम अतिशेष को दर्शाया जायेगा।
(2) लेखा अधिकारी लेखा विवरण-पत्र के दूसरी ओर लुप्त जमा, यदि कोई हो, का पूरा विवरण भी देगा।	(2) लेखा अधिकारी लेखा विवरण-पत्र के दूसरी ओर लुप्त जमा, यदि कोई हो, का पूरा विवरण भी देगा।
(3) अभिदाताओं को वार्षिक विवरण की शुद्धता के संबंध में स्वयं अपना समाधान कर लेना चाहिये और गलतियों को सम्बद्ध आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित की गयी सामान्य भविष्य निधि पास बुक के सुसंगत उद्धरणों सहित उसकी प्राप्ति के दिनांक से तीन मास के भीतर लेखा अधिकारी की जानकारी में लाया जाना चाहिये।	(3) अभिदाताओं को वार्षिक विवरण की शुद्धता के संबंध में स्वयं अपना समाधान कर लेना चाहिये और गलतियों को सम्बद्ध आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित की गयी सामान्य भविष्य निधि पास बुक के सुसंगत उद्धरणों सहित उसकी प्राप्ति के दि क से तीन मास के भीतर लेखा अधिकारी की जानकारी में लाया जाना चाहिये। प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी का यह भी एक व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे सम्बद्ध अधिष्ठान के समस्त कर्मचारियों के महालेखाकार कार्यालय की लेखा पर्ची/लेजरों की लुप्त प्रविष्टियों को भविष्य निधि पास बुकों की प्रमाणित प्रतियों को भेजकर या पत्र-व्यवहार द्वारा या अपने व्यक्तिगत प्रयासों के माध्यम से ठीक करायें।
सामान्य भविष्य निधि पास बुक 28—(1) समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी अपने अधीन कार्य करने वाले प्रत्येक अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखा के संबंध में सामान्य भविष्य निधि पास बुक ऐसी रीति से और ऐसे प्रपत्र में रखेंगे जैसा सरकार द्वारा विहित किया जाय और अभिदाता ऐसी फीस का, जैसी निहित की जाय, भुगतान करने पर सामान्य भविष्य निधि पास बुक की एक प्रति प्राप्त करने और ऐसे अन्तराल पर और ऐसी रीति से जैसी सरकार द्वारा विहित की जाय, उसे अद्यतन कराने का हकदार होगा।	सामान्य भविष्य निधि पास बुक 28—(1) समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी अपने अधीन कार्य करने वाले प्रत्येक अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखा के संबंध में सामान्य भविष्य निधि पास बुक, ऐसी रीति से और ऐसे प्रपत्र में रखेगें जैसा सरकार द्वारा विहित किया जाय और अभिदाता ऐसी फीस का, जैसी निहित की जाय, भुगतान करने पर सामान्य भविष्य निधि पास बुक की एक प्रति प्राप्त करने और ऐसे अन्तराल पर और ऐसी रीति से जैसी सरकार द्वारा विहित की जाय, उसे अद्यतन कराने का हकदार होगा।

स्तम्भ—1 वर्तमान नियम	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(2) जब किसी अभिदाता का स्थानान्तरण किसी अन्य सरकारी विभाग या उपक्रम में हो जाय, तब उसके स्थानान्तरण के दिनांक तक के लिये हर प्रकार से पूर्ण उसकी पास बुक उसके अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र सहित ऐसे अन्य सरकारी विभाग या उपक्रम को अग्रसारित किया जायेगा और सामान्य भविष्य निधि पास बुक में स्थानान्तरण के दिनांक को विद्यमान अन्त अतिशेष का उल्लेख अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र में किया जायेगा । इस प्रकार प्राप्त पास बुक को ऐसे सरकारी विभाग उपक्रम द्वारा ऐसी रीति से रखा जायेगा जैसी उपनियम (1) में विहित है ।	(2) जब किसी अभिदाता का स्थानान्तरण किसी अन्य सरकारी विभाग या उपक्रम में हो जाय, तब उसके स्थानान्तरण के दिनांक तक के लिये हर प्रकार से पूर्ण उसकी पास बुक उसके अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र सहित ऐसे अन्य सरकारी विभाग या उपक्रम को अग्रसारित किया जायेगा और सामान्य भविष्य निधि पास बुक में स्थानान्तरण के दिनांक को विद्यमान अन्त अतिशेष का उल्लेख अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र में किया जायेगा । इस प्रकार प्राप्त पास बुक को ऐसे सरकारी विभाग उपक्रम द्वारा ऐसी रीति से रखा जायेगा जैसी उपनियम (1) में विहित है । (2–क) आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित सूचनाएं दी जायेंगी :– (क) ऐसे अभिदाताओं के नाम और लेखा संख्या जिनका पूर्व एक वर्ष में नामांकन हुआ हो, (ख) ऐसे अभिदाताओं की सूची जिन्होंने अन्य कार्यालयों/विभागों से स्थानान्तरण द्वारा वर्ष के मध्य में कार्यभार ग्रहण किया हो, (ग) ऐसे अभिदाताओं की सूची जो वर्ष के मध्य में अन्य कार्यालय/विभागों को स्थानान्तरित हुए हों, (घ) ऐसे अभिदाताओं की सूची जो आगामी 18 मास के दौरान सेवानिवृत्त होने जा रहे हों ।

आज्ञा से,
पी० उमाशंकर,
सचिव ।

संख्या सा–4–642 (1)/दस—97—502/85, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1—महालेखाकार, आडिट/लेखा प्रथम एवं द्वितीय, उ० प्र०, इलाहाबाद ।
2—समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
3—सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
4—सचिव, विधान सभा/परिषद्, विधान भवन, लखनऊ ।
5—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ०प्र०, इलाहाबाद को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को प्रदेश गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करा दें ।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव ।